FORM No. III
APP-A
Crime-I
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्रर मुकाम...खींवसर
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
टीकूराम बनाम लिछमणराम वगैराह
नं.......35.........सन्..2020.

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	21.07.2020	

प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरुद्व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है वकील प्रार्थी का एक पक्षीय सुना गया और वकील प्रार्थी को भी सुना गया। तथा पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी है प्रार्थी के कथनानुसार उक्त प्रकरण में पूर्व में बंटवाड़ा हुआ मगर कुछ खसरान में बंटवाड़ा से भिन्न पक्षकारान काबिज रहे और पूर्व में हुए बंटवाड़ा को नहीं मानते हुए हमारी खेत की सीवें माठे खुर्द बुर्द करने पर उतारू है इसलिए मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है

अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र दर्ज रजिस्ट्रर हो। **आगामी पेशी तक** बहक अप्रार्थीगण के विरूद्व अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय कि जारी की जाती है कि मौजा पचारो एवं बिच्छुओं की ढाणी के वादग्रस्त ख.न. 02 रकबा 04 बिश्वा गेर मुमकिन ढाणी, ख.न. 6/904 रकबा 13.18 बीघा, ख.न. 57/909 रकबा 05.18 बीघा, ख.न. 89/914 रकबा 01.08 बीघा, ख.न. 13 रकबा 11 बिश्वा और मौजा दांतीणा के खसरान 630/213 रकबा 19.03 बीघा, में प्रार्थी के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने एवं प्रार्थी के उपरोक्त खेतो की सींवो माठो को खुर्द बुर्द नहीं करने तथा मौके की स्थिति में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करने बाबत् अप्रार्थीगण को अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

नोटः– <u>उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा DILRMP पर प्रभावी नहीं होगी, उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक ही प्रभावी रहेगी।</u>

अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन जरीये जबाव प्रस्तुत करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी। मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 25.08.2020 पेश हो ।

सहायक कलक्ट्रर
खींवसर

25/8/20
पक्षकार/पक्षकारान व अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी [illegible] मीटिंग में/भ्रमण/
स्था[illegible] चुका है/अवकाश पर गये हुए
है। [illegible] समक्ष दिनांक 3/11/20
को [illegible]

APP-A
Crime-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मिसल .... मुकद्दमा

दीनदयाल बनाम लिच्छमनाराम

नम्बर .... नं. 35 सन 2020

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/1/22 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के अधिवक्ता ... पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 19/4/22 प्रस्तुत हो।	
19/4/22 पत्रावली पेश हुई ... मीटिंग में/पीठासीन अधिकारी ... स्थानान्तरण हो चुका है/भ्रमण/में है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली आगामी दिनांक को 21/7/22 को पेश हो।	
पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/में है/ स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली आगामी दिनांक को 23/11/22 को पेश हो।	
22/9/22 वकील वादी/प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई वकील वादी/प्रार्थी ने आवेदन पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकार के मध्य राजीनामा हो चुका है, इसलिए मैं इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता हूँ। अतः विड्रोल खारीज किया जावे अतः वकील वादी/प्रार्थी के निवेदन पर उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद/प्रा. पत्र वापिस विड्रोल खारीज किया जाता है। पत्रावली की फैसल शुमार होकर बाद जाब्ते दाखील रेकर्ड हो। सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर	2/2445 [signature]